

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082020-221286

CG-DL-E-21082020-221286

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2020/श्रावण 30, 1942

No. 327]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2020/SHRAVANA 30, 1942

विद्युत मंत्रालय

(केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2020

फा.सं. CEA-PS-11-23(21)/7/2020-PSPA-I Division.—जबकि मेसर्स पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड (पी.बी.टी.एल.), जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 है, ने पारेषण योजना “गुजरात के भुज-II में (2000MW) आरई परियोजनाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पारेषण प्रणाली” के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I दिनांक 16.07.2019 के द्वारा पारेषण योजना “गुजरात के भुज-II में (2000MW) आरई परियोजनाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पारेषण प्रणाली” के अंतर्गत शिरोपरि लाइन के लिए मेसर्स BHUJ-II ट्रांसमिशन लिमिटेड (जिसका नाम अब पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड हो गया है) को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना “गुजरात के भुज-II में (2000MW) आरई परियोजनाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पारेषण प्रणाली” के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

- i. 765 के.वी. डबल सर्किट भुज से लकड़िया पारेषण लाइन के पुनर्विन्यासन के द्वारा 765 के.वी. डबल सर्किट भुज-II से लकड़िया एवं 765 के.वी. डबल सर्किट भुज से भुज-II पारेषण लाईन की स्थापना (यानी, भुज लकड़िया 765 KV D/C लाइन के दोनों ckts का भुज-II में LILO लगभग 53 किमी का LILO सेक्शन 1)

स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाइन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

जिला	तहसील	गाँव के नाम
कच्छ	भुज	झुरा (जुरा), व्यारा
कच्छ	नखत्राणा	पालनपुर, बाडी, साढ़ना कैप, निरोना, ऑरिरो, मेडिसर, अकड़ना, भड़ली, कोटड़ा (थरावडा), थरावडा, रोजीमन डोंगर, वामरा पादर, विरखल, उलट, चवाङ्का, लखियारवीरा, देविसर, जिंदय, विथोंण, मोरझर, आनंदसर, अधोछनी, देवपुर, धावडा नाना, धावडा मोटा, सांगनारा, अंगिया मोटा, अंगिया नाना, नागलपर, नखत्राणा, नखत्राणा नाना, धोडम डोंगर, बेरु, मफतनगर, वेहास, जड़ाय, उखेडा, कड़िया नाना, कड़िया मोटा, जडोदर, कोटड़ा जडोदर

मैसर्स पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड ने उपरोक्त योजना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने की विद्युत मंत्रालय की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मैसर्स पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -

- (i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- (iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदक को “गुजरात के भुज- II में (2000MW) आरई परियोजनाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पारेषण प्रणाली” पारेषण योजना के तहत बिजली की तारें बिछाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। निर्माण कार्यों का ब्यौरा दिनांक 14.03.2020 से 20.03.2020 के भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
- (v) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (vi) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
- (vii) मैसर्स पी.बी.टी.एल. को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

पी. सी. कुरील, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./195/2020-21]

MINISTRY OF POWER
(CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY)

ORDER

New Delhi, the 24th July, 2020

F. No.CEA-PS-11-23(21)/7/2020-PSPA-I Division.—Whereas M/s Powergrid Bhuj Transmission Limited (PBTL), the applicant with its registered office at B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi, South Delhi, Delhi, India – 110016, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission System for providing connectivity to RE Projects at Bhuj-II (2000MW) in Gujarat”.

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its file No. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I Division dated 16.07.2019 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Bhuj-II Transmission Limited (now renamed as M/s Powergrid Bhuj Transmission Limited) for the overhead lines covered under the transmission scheme “Transmission System for providing connectivity to RE Projects at Bhuj-II (2000MW) in Gujarat”.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission System for providing connectivity to RE Projects at Bhuj-II (2000MW) in Gujarat”.

The overhead lines covered under the transmission scheme are given below:

- i. Reconfiguration of Bhuj PS-Lakadia PS 765kV D/c line so as to establish Bhuj- II-Lakadia 765kV D/C line as well as Bhuj-Bhuj-II 765 kV D/c line (i.e. LILO of both ckts of Bhuj-II-Lakadia 765 KV D/C line at Bhuj-II LILO section of about 53 Km.)

The overhead line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

District	Tehsil	Name of Villages
KUTCH	BHUJ	Jhura (Zura), Vyara
KUTCH	NAKHTRANA	Palanpur, Wadi Sadhana Camp, Nirona, Oriro, Medisar, Akandna, Bhadli, Kotada (Tharawada), Tharawada, Rojiman Dongar, Vanrapadar, Virkhal, Ulat, Chawdka, Lakhiyarvira, Devisar, Jinday, Vithon, Morjar, Anandsar, Adhochhani Devpur, Dhavda, Nana, Dhavida, Mota, Shangnara, Angiya, Mota, Angiya, Nana, Nagalpur, Nakhtarana, Nakhtarana, Nana, Dhodam Dongar, Beru, Mafatnagar, Wehas, Jaday, Ukheda Kadiya, Nana, Kadiya Mota, Jadodar Kotada Jadodar.

M/s Powergrid Bhuj Transmission Limited (PBTL) had complied with the MoP's procedure for obtaining the authorization under section 164 of Electricity Act, 2003 for the above transmission scheme. Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Powergrid Bhuj Transmission Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant has been entrusted with the responsibility for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission System for providing connectivity to RE Projects at Bhuj-II (2000MW) in Gujarat”. The details of the works are published in the Gazette of India dated 14th March – 20th March, 2020.
- (v) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector/Chief Electrical Inspector of Central Government.
- (vi) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vii) M/s PBTL shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

P. C. KUREEL Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./195/2020-21]